

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्री शकेश्याम विपक्षी विष्णु कुमार  
 मुकदमा 53,188/2017 पत्रावली संख्या 167/17 सन \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>8/7/25                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पत्राकरान उप।                      उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का                      बहिष्कार करने/लोक समा कर न्यायिक कार्य                      स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अचक्रा/                      भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व अदेश                      के क्रम में दिनांक <u>16/9/25</u> को पेश हो:                      B10                      2</p> <p>16/9/25 <u>स्वास्थ्य वाद</u>                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>श्री 158</u>                      के लिबे मौका चाहते है। अतः <u>27/10/25</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>27/10/25</u>                      कोपेश हो।                      (SDO) <u>मावली</u></p> <p>6/11/25 <u>स्वास्थ्य वाद</u>                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>स्वा. सं. की शर्त पर</u>                      के लिबे मौका चाहते है। अतः <u>27/10/25</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>27/10/25</u>                      कोपेश हो।                      (SDO) <u>मावली</u></p>	<p>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई</p>



27/10/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम बाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कमिश्नर  
(SDO) बबली